



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनांक 17-10-2024

थाना बिसरख पुलिस द्वारा ग्राइंडर ऐप के माध्यम से लोगों को फंसाकर धोखाधड़ी से पैसे/ज्वैलरी की ठगी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ज्वैलरी, नकदी व घटना में प्रयुक्त कार एवं अवैध शस्त्र बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- अभियुक्तगण के द्वारा जूम कार ऐप के माध्यम से कार को बुक कर, ग्राइंडर ऐप के माध्यम से लोगो को अपने जाल में फंसाकर धोखाधड़ी करके विश्वास में लेकर उनसे ज्वैलरी, नकदी, की ठगी करना। जिसके सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना बिसरख पर मु0अ0स0 763/2024 धारा 318(4),316(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण को थाना बिसरख पुलिस द्वारा दिनांक **17.10.2024** को वैभव हैरिटेज तिराहा के पास से 02 अभियुक्त 1. राहुल शर्मा पुत्र नानक शर्मा 2. हिमांशु उर्फ वर्षो पुत्र सुरेन्द्र सिंह ठगी किये हुये ज्वैलरी, नकदी व घटना में प्रयुक्त कार व नाजायज असलाह कारतूस के साथ **गिरफ्तार** किया गया।

अपराध करने का तरीका-- समाज में बदनामी का भय दिखा कर धोखाधड़ी करते है। ऑनलाइन ऐप पर प्रोफाइल मैचिंग के बाद चैट करते है, और इस तरह के तथ्य जुटा लेते है जिससे पीड़ित को बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। गोपनीय बातों को सार्वजनिक करने के नाम पर पीड़ित को गुमराह करते है जिससे पैसे निकलवा पाए। अभियुक्त खुद की प्रीमियम प्रोफाइल बनाते है ताकि वह प्रमाणित लगे और पीड़ित को इनके इरादों पर शक ना हो।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. राहुल शर्मा पुत्र नानक शर्मा निवासी ग्राम बिसाडा थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष।
2. हिमांशु उर्फ वर्षो पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी दौलतराम कालौनी थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 763/2024 धारा 318(4),316(2) बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 पीली धातु की चैन, 01 पीली धातु की अंगूठी।
2. 47000 रुपये नगदा।
3. 01 कार यूपी 16 डीवाई 2460 (घटना में प्रयुक्त)।
4. 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस ।